दैनिक भास्कर बिलासपुर भास्कर 25-06-2025

कर्मचारी को राहत, एनएचएम की अपील खारिज

बिलासपुर | हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एक कर्मचारी की बर्खास्तगी से जुड़ी अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि बिना विभागीय जांच और सुनवाई के की गई सेवा समाप्ति नियमों के विरुद्ध है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस विभू दत्त गुरु की बेंच ने कहा कि बर्खास्तगी जांच और सुनवाई के लिए बर्खास्तगी गलत थी। बिलासपुर निवासी दीपक धारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत थे। उन्हें 25 जुलाई 2016 को एनएचएम से बिना विभागीय जांच सेवा से हटा दिया गया। उन्होंने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी। कहा कि उन्हें सुनवाई का मौका दिए बगैर कार्रवाई की गई है। हाई कोर्ट 6 जनवरी 2025 को आदेश रद्द करते हुए कहा कि बर्खास्तगी आरोपों पर आधारित होने के कारण अवैध है। कोर्ट ने विभाग को उचित विधिक प्रक्रिया पूरी करते हुए फिर से कार्रवाई की छूट दी थी। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ एनएचएम ने 77 दिनों के बाद अपील की। हाई कोर्ट ने कहा है कि सिंगल बेंच का आदेश सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइनों के अनुरूप है। बर्खास्तगी की कार्रवाई में जांच व सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने इस आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अपील खारिज कर दी है।